न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छोटीसादड़ी, जिला–प्रतापगढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारीः–विनोद कुमार गल्होत्रा (R.A.S.)

प्रकरण संख्याः–23 / 2021

1. श्रीमती स्नेहलता उर्फ कृष्णा कुमारी पुत्री मोहनलाल जाति गायरी निवासी मलावदा हा0मु0 छोटीसादडी तहसील छोटीसादड़ी जिला–प्रतापगढ़ राज0

–– प्रार्थीया

बनाम

1. राजस्थान सरकार, जरिये भूमिधारी तहसीलदार, छोटीसादडी जिला प्रतापगढ राजस्थान

–– अप्रार्थी

प्रार्थना प्रत्र अन्तर्गत 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः– श्री प्रकाश चन्द्र साहू – अभिभाषक प्रार्थीया

निर्णय दिनांक 24.03.2022

1. प्रार्थीया ने प्रार्थना प्रत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 में पेश किया जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि मौजा मलावदा पटवार हल्का गोमाना के खाता संख्या 136 की आराजी संख्या 543 रकबा 0.11 हैक्ट0, कुल किता 01 कुल रकबा 0.11 हैक्ट0 तथा खाता संख्या 135 की आराजी संख्या 547 रकबा 0.25 हैक्ट0, आराजी संख्या 912 रकबा 0.59 हैक्ट0, कुल किता 02 कुल रकबा 0.84 हैक्ट0 स्थित है उक्त आराजी प्रार्थीया का नाम कृष्ण कुमारी के बजाए स्नेहलता दर्ज कर दिया है जबकि प्रार्थीया का अन्य दस्तावेजों यथा आधार कार्ड, राशनकार्ड, बैंक डायरी इत्यादि में नाम कृष्णा कुमारी दर्ज रेकार्ड है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थीया का नाम राजस्व रेकार्ड में स्नेहलता के बजाए स्नेहलता उर्फ कृष्णा दर्ज करने का आदेश प्रदान किया जावें।
2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी तहसीलदार छोटीसादड़ी से जवाब एवं पटवार रिपोर्ट तलब कि गई जिसमें पटवार हल्का गोमाना ने बताया कि मौजा मलावदा की आराजी संख्या 543, 547, व 912 पर प्रार्थीया का नाम स्नेहलता पिता मोहनलाल दर्ज रेकार्ड है जबकि गांव में प्रार्थीया को स्नेहलता व कृष्णा दोनों नामों से जाना जाता है अतः प्रार्थीया का नाम राजस्व रेकार्ड में स्नेहलता के बजाए स्नेहलता उर्फ कृष्णा दर्ज किया जाना उचित है।

3. पत्रावली का अवलोकन किया गया। संलग्न दस्तावेज यथा आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक खाता पासबुक का अवलोकन किया गया जिसमें भी प्रार्थीया का नाम कृष्णा कुमारी दर्ज है। संलग्न जनाबन्दी का अवलोकन किया गया जिसमें प्रार्थीया का नाम स्नेहलता दर्ज रेकार्ड है पटवार हल्का रिपोर्ट का अवलोकन करने पर भी जाहिर होता है कि स्नेहलता एवं कृष्णा कुमारी एक ही महिला के नाम है तथा स्नेहलता के बजाए स्नेहलता उर्फ कृष्णा दर्ज किया जाना उचित बताया गया है। अतः उक्त मुताबिक किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

4. फलत प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा मलाददा पटवार हल्का मोनाना के खाता संख्या 136 की आराजी संख्या 543 रकबा 0.11 हैक्ट0, कुल किता 01 कुल रकबा 0.11 हैक्ट0 तथा खाता संख्या 135 की आराजी संख्या 547 रकबा 0.25 हैक्ट0, आराजी संख्या 912 रकबा 0.59 हैक्ट0, कुल किता 02 कुल रकबा 0.84 हैक्ट0 पर प्रार्थीया का नाम स्नेहलता पुत्री मोहनलाल के बजाए स्नेहलता उर्फ कृष्णा कुमारी पिता मोहनलाल दर्ज किया जावें। तहसीलदार छोटीसादडी को आदेशित किया जाता है कि राजस्व रेकार्ड में नाम दुरस्तीकरण कर पालना रिपोर्ट पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 24.03.2022 को सरे इजलास सुनाया जाता है । पत्रावली फैसले शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(उपखण्ड अधिकारी)
उपखण्ड अधिकारी
छोटीसादडी, जिला – प्रतापगढ